

आदेश

अधिवक्ता प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत वादपत्र स्वीकार किया जाकर घोषणा आश्रय की जाती है कि ग्राम चिड़ावा पटवार हल्का चिड़ावा तहसील चिड़ावा में ख0 भूमि नं. 1448 / 1073354 रकबा 0.45 है0 ख0नं. 1451 / 1074 रकबा 0.21 हैक्टयर कुल किता 2 कुल किता 0.66 हैक्टयर में प्रार्थिया का नाम धापा पुत्री श्योनारायण की जगह बिमला देवी पुत्री श्योनारायण दुरुस्त किये जाने के आदेश दिया जाता है। खाते के शेष इन्द्राजात यथावत रहेंगे। तहदनुसार तहसीलदार चिड़ावा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। पत्रावली फ़ैशल शुमार नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ़तर हो।


(डा0नरेश सोनी)

उपखंड अधिकारी चिड़ावा